

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 33B/2016-17

1.बुद्धदेव महतो 2.साधु महतो बनाम साहेचारी महतो

:: आदेश ::

दिनांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता 1.बुद्धदेव महतो 2.साधु महतो पिता स्व० रामलाल महतो, ग्राम-जोजोडीह, थाना-खरसावां, जिला-सरायकेला- खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता साहेचारी महतो पति स्व० दुलाल महतो ग्राम-जोजोडीह, थाना-खरसावाँ जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें अवशेष भूमि काफी कम है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

  
31/07/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।